

चेकलिस्ट संख्या 4 – भारतीय वाणिज्यिक पोतों की पूर्ण हानि

रजिस्ट्री का समापन (पृष्ठ 1 में से 1)

क्र. सं.	आवश्यक दस्तावेज़	हाँ/नहीं/लागू नहीं
1	जैसे ही घटना घटित हो, मालिक द्वारा कंपनी सचिव से नीचे के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार और महानिदेशालय शिपिंग को सूचना देना।	
2	एमएमडी या पोत के पी एंड आई क्लब द्वारा पोत की पूर्ण हानि की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट।	
3	200 GT और उससे ऊपर के पोतों हेतु नाविक भविष्य निधि आयुक्त (SPFC) से यह पुष्टि करते हुए NOC कि मालिक ने PF दायित्वों को पूरा किया है।	
4	200 GT और उससे ऊपर के पोतों हेतु शिपिंग मास्टर से NOC जिसमें चालक दल और अधिकारियों की मजदूरी के निपटान की पुष्टि हो।	
5	i) यदि ऊपर के NOC शर्तों सहित हों, तो मालिक द्वारा रजिस्ट्रार को किसी भी देयता से क्षतिपूर्ति देने वाला शपथपत्र और कंपनी द्वारा शर्तों की पूर्ति का आश्वासन प्रस्तुत करना होगा (200 GRT से ऊपर के पोतों हेतु)। ii) 200 GRT से नीचे के पोतों हेतु स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देना	
	होगा।	

6	500 GT और उससे अधिक विदेशी संचालन वाले पोतों हेतु नौसेना दस्तावेजों की वापसी के लिए नौसेना प्राधिकरणों से NOC।	

7	DGS / MMD / IRS द्वारा जारी सभी वैधानिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ संबंधित प्राधिकरण को लौटाई जानी चाहिए: 1) पंजीकरण प्रमाणपत्र 2) सुरक्षा उपकरण 3) सुरक्षा निर्माण 4) सुरक्षा रेडियो 5) भारतीय/अंतरराष्ट्रीय टन भार प्रमाणपत्र 6) सर्वे प्रमाणपत्र 7) न्यूनतम स्टाफिंग दस्तावेज़ 8) टैंकरों हेतु: नागरिक देयता प्रमाणपत्र 9) लोड लाइन प्रमाणपत्र 10) सुरक्षा प्रबंधन (500 GT से अधिक) 11) ट्रेडिंग लाइसेंस 12) अंतरराष्ट्रीय जहाज सुरक्षा प्रमाणपत्र (300 GT और उससे अधिक) और CSR को DGS को सौंपना।	
8	विक्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में पोत का नाम, कॉल साइन, आधिकारिक संख्या और MMSI संख्या को समर्पित करना और निम्नलिखित के निष्क्रिय होने का प्रमाण देना: (a) मोबाइल स्टेशन लाइसेंस (b) INMARSAT	
	(c) शिप सुरक्षा अलार्म (d) EPIRB	

9	पोत पर कोई बकाया बंधक नहीं होना चाहिए।	
10	यदि पोत के साथ प्रमाणपत्र भी नष्ट हो गए हों, तो इस हानि की सूचना पुलिस विभाग को दी जाए और दो समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए (चेकलिस्ट संख्या 9 देखें)।	
11	महानिदेशालय शिपिंग से रजिस्ट्री समापन हेतु निर्देश।	
12	अंतिम कमांड परिवर्तन का प्रमाण जो MMD द्वारा प्रमाणित हो। यदि नहीं किया गया हो तो दंड देय: प्रथम दिन ₹1000 + शेष दिन ₹50 प्रतिदिन + ₹250 प्रत्येक परिवर्तन हेतु।	
13	भारत कोष भुगतान रसीद ₹1000/-।	

कार्यालय उपयोग हेतु टिप्पणियाँ:

- i) यदि उपरोक्त सभी आवश्यकताएँ पूर्ण हों तो डिलीशन प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
- ii) रजिस्ट्री समापन का कारण रजिस्टर में लाल स्याही से दर्ज किया जाए (जैसे: स्कैपिंग / आगे संचालन / पूर्ण हानि)।
- iii) रद्द किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र DG को रिपोर्ट सहित भेजा जाए।
- iv) समापन हेतु पोत पर कोई बकाया बंधक नहीं होना चाहिए।
- v) डीजी को भेजे गए पत्र में MMSI नंबर समर्पित किया गया है, इसका उल्लेख किया जाए।
- vi) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को MMSI नंबर त्याग की सूचना पत्र द्वारा दी जाए।

नोट: चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और स्थापित होनी चाहिए। अन्यथा इस कार्यालय द्वारा ऐसे दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे।